

समाहरणालय मधेपुरा।
(जिला आपूर्ति शाखा)
आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-7611 दिनांक-04.12.2013 द्वारा माह दिसम्बर-2013 के लिए किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.2008 एवं पत्रांक-1842/खाद्य दिनांक-08.03.2011 में दिए गए मार्ग दर्शन के आलोक के अनुरूप विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्र के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 3.00 (तीन) लीटर की दर से तथा शहरी क्षेत्र के परिवार को प्रति परिवार 2.500 (दो लीटर पॉच सौ मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ट्रेला भेण्डर को प्रतिमाह-750 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक-7611/खाद्य दिनांक-04.12.2013 के द्वारा माह-दिसम्बर 2013 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरण के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार /थौक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम।	2001 के आधार पर जनसंख्या।	माह नवम्बर 13 में प्रपत्र IX के आधार पर बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 परिवारों की सं०	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में) ज०वि०प्र० विक्रेता/हॉकर।	सम्बद्ध थौक किरासन तेल विक्रेता का नाम।	विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	47117	ज०वि०प्र०- 141351.000 हॉकर ((x750) 4500.000 145851.000	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	113994.00 31857.000 कुल-145851.000
02	वैलाद प्रखण्ड	73129	22221	ज०वि०प्र० 66663.000 हॉकर (6X750) 4500.000 71163.000	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-71163.000
03	नगर परिषद मधेपुरा	45031	10961	ज०वि०प्र० 27402.500 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्थान- 4879.00 51031.500	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-51031.500
04	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	32538	ज०वि०प्र० 97614.000 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 102964.000	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-102964.000
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19421	ज०वि०प्र०- 58263.000	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-58263.000
06	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28370	ज०वि०प्र० 85110.000	1.मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मै० जयदजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	31278.000 53832.000 कुल-85110.000
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43263	ज०वि०प्र० 129789.000 सरकारी संस्थान 50.000 129839.000	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	100206.000 29633.000 कुल-129839.000
08	मुरलीगंज नगर पंचायत	22936	6606	ज०वि०प्र०- 16515.000 हॉकर (20X750) 15000.000 31515.000	मै० मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	कुल-31515.000
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52164	ज०वि०प्र०- 156492.000 हॉकर (1X750) 750.000 157242.000	1.मै० जयदजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड 2.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	102102.000 55140.000 कुल-157242.000
10	उदाकिशुनगंज प्रखण्ड	136937	38176	ज०वि०प्र०- 114528.000 हॉकर (16X750) 12000.000 126528.000	1.मै० चामुण्डेय ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-126528.000
11	बिहारीगंज प्रखण्ड	101655	28424	ज०वि०प्र०- 85272.000 हॉकर (29X750) 21750.000 107022.000	1.मै० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	कुल- 107022.000

12	ग्यालपाड़ा प्रखण्ड	95295	25303	ज०वि०प्र०- 75909.000 हॉकर (4X750) - 3000.000 78909.000	1 मे० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	कुल-78909.000
13	आलमनगर प्रखण्ड	129226	38518	ज०वि०प्र०- 115554.000 हॉकर (7X750) -5250.000 120804.000	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-120804.000
14	चौसा प्रखण्ड	116471	32042	ज०वि०प्र०- 96126.000 हॉकर (2X750)- 1500.000 97626.000	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-97626.000
15	पुरैनी प्रखण्ड	77792	21237	ज०वि०प्र० - 63711.000 हॉकर (2X750)- 1500.000 65211.000	1 मे० श्यामा स्टोर बिहारीगंज 2 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	39729.000 25482.00 कुल-65211.000
कुलयोग		1526646	446361	1429078.500		1429078.500

2. इस प्रकार इस जिले में वितरण हेतु उपलब्ध 120 टैंकर (120 X 12000)=1440000+ समायोजित 17764 लीटर कुल 1457764 लीटर किरासन तेल को प्रखण्डवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपावंटन किया गया है।

3. विभागीय निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर धानो में रोशनी के लिए उपावंटित किरासन तेल कुल-850 ली० एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा०प्र०, दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित-850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित चौक किरासन तेल विक्रेता मे० चामुण्डे ऑयल उदाकिशुनगंज एवं मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी, सिंहेश्वर को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपावंटित किया जाता है :-

- | | |
|---|--|
| 1 अधीक्षक ,मंडल कारा, मधेपुरा | 250 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 2 सदर अस्पताल | 100 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 3 कोषागार +गार्ड ,मधेपुरा | 40 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 4 बी०एन० मंडल ,वि०वि०मधेपुरा | 1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 5 व्यवहार न्यायालय ,मधेपुरा | 1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 6 समाहरणालय ,मधेपुरा | |
| (जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित) 1639 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज | |
| 7 पुलिस अधीक्षक | 850 मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 8 आवा०अनु०जाति वि०,भोकराहा (स्थानान्तरित ,मुरलीगंज) | 50 लीटर मे० मोतीलाल रामरूप ,मुरलीगंज |

कुल योग- 4929 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल का उद्यव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित चौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समाहरणालय,मधेपुरा/अनुमंडल कार्यालय,मधेपुरा /अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास /कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर परिषद,मधेपुरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक,मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा द्वारा कोषागार+गार्ड हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी०एन०मंडल

विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा द्वारा सुदुरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय अनु०जाति, आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जाएगा ।

5. सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-7611/खाद्य, दिनांक-04.12.13 से प्राप्त निर्देश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हाट/बाजारों में स्थानीय आपूर्ति निरीक्षक /पणन पदाधिकारी एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची/संख्या के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जाएगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

6. संगत विभागीय निर्देश के अनुपालन में उपावंटित किरासन तेल को नियमानुसार शत्-प्रतिशत उद्यव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

7. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.08 एवं पत्रांक-1841/खाद्य, दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति /वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में कूपनधारी बी०पी०एल०/अन्तयोदय /ए०पी०ए० परिवारों से संबंधित माह का किरासन तेल का कूपन प्राप्त कर सरकार द्वारा ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किया जाएगा। कूपनधारियों के लिए आवंटित किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। दूध किरासन तेल विक्रेता से ज०वि०प्र०वि० /किरासन तेल टेला भंडर को आपूर्ति किए जानेवाले किरासन तेल एवं ज०वि०प्र०वि० /टेला भंडर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जानेवाले वितरण कार्य का सतत् निरीक्षण से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभागीय निर्देश का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।


8. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आहत समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी उदाकिशुनगंज को निर्देश दिया जाता है कि घैलाढ़ प्रखंड नगर परिषद, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज०वि०प्र०वि० /टेला भंडर को स्वयं द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्र०आ०पदा०की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

9. विभागीय निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को उपावृत्त किरासन तेल कुल सचिव बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय,मधेपुरा के आदेशानुसार वितरण किया जाएगा। कुल सचिव संबंधित थौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर सीधे किरासन तेल प्राप्त करेंगे।

10. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय,मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।


जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।


ज्ञापांक 1150आ०,मधेपुरा,दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/सभी थौक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा जिला संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याय प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना /आयुक्त के सचिव,कोशी प्रमंडल सहरसा /उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।